संवाददाता पटना

राइट टू सर्विस एक्ट, 2011 के मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी. अब इसे चालू सत्र के दौरान विधानमंडल से पारित करा कर एक अप्रैल से लागू करने की योजना है. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के प्रारूप को भी मंजूरी दी गयी. इसी तरह बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के 21 अधिकारियों को अपर सचिव के रुप में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया.

वेतन से कटौती

राइट टू सर्विस एक्ट, 2011 के दायरे में 30 तरह की सेवाओं को शामिल करने पर सहमति बनी है. इसमें जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, बिजली कनक्शन, निबंधन, जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र जैसी लोकोपयोगी सेवाओं को इसकी परिधि में लाया गया है. बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक्ट के प्रारूप का प्रेजेंटेशन भी किया गया था. इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अधिकारी निर्धारित समयसीमा के तहत जनता को सेवा उपलब्ध नहीं कराता है, तो उसे दंडित किया जायेगा. इसमें दंड का प्रावधान 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना है. दंड की राशि जिम्मेवार अधिकारियों के वेतन से कटौती की जायेगी.

1.45 करोड बीपीएल परिवार

मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के प्रारूप को भी मंजूरी दी गयी है. इसके तहत केंद्र से वंचित बीपीएल उपभोक्ताओं को हर माह सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया जायेगा. राज्य में हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 1.45 करोड बीपीएल उपभोक्ताओं की संख्या है. इनमें से 65 लाख उपभोक्ताओं को ही केंद्र सरकार अनाज देती है. शेष को नहीं. अब शेष 80 लाख उपभोक्ताओं का राज्य सरकार अपने संसाधन से अनाज खरीद कर उपलब्ध करायेगी.

21 अपर सचिव में प्रोन्नत

मंत्रिमंडल ने बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के 21 अधिकारियों को अपर सचिव में प्रोन्नत करने पर सहमति दी है. मुख्यमंत्री को इन प्रोन्नत अधिकारियों को नयी जगहों पर पदस्थापन के लिए अधिकृत किया गया है.